ISSN 2249-894X Impact Factor : 3.1402 (UIF) Volume - 5 | Issue - 9 | June - 2016

REVIEW OF RESEARCH

"'भारतीय संविधान' : एक राष्ट्रीय ग्रंथ"

डॉ. जयश्री शिंदे
एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, यु.ई.एस. महिला महाविद्यालय,
सोलापुर।

प्रस्तावना :

संविधान शिल्पी, प्रखर देशभक्त, महामानव, भारतरत्न डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर जिन्होंने देश का संविधान मसौदा तैयार करने के लिए गंभीर और विस्तृत अध्ययन किया। दि. 30 अगस्त, 1947 को डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया था। 4 नवम्बर, 1948 को संविधान का मसौदा संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। 9 दिसंबर, 1946 से 24 जनवरी, 1950 तक संविधान मसौदा तैयार करने का यह कार्य निरंतर चलता रहा। 26 नवंबर, 1949 को काम पूरा हुआ। दो वर्ष ग्यारह महिने 17 दिन तक डॉ. बाबासाहब ने खुद को संविधान मसौदा कार्य में झोंक दिया था। परिणामतः उनका स्वास्थ्य अत्याधिक खराब हुआ। बावजूद उन्होंने राष्ट्र को संविधान समर्पित किया। 'संविधान का मुख्य उद्येश्य जातिविहीन वर्णविहीन तथा शोषणविहीन समाज की स्थापना करना।' भारत का संविधान स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व (भाईचारा) के सिध्दांतों पर आधारित है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित भारतीय संविधान है। पूरे विश्व ने इसकी तारीफ की। 26 जनवरी, 1950 से भारतीय सभी नागरिकों के जीवन का एक अहं हिस्सा बना संविधान।

भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रीएम्बल)

''हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीष शुक्ला सप्तमी, संवत दो हजार छह विकृती) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रित करते हैं।''

भारतीय संविधान अम्बेडकर की दृष्टि में मानवता के मार्गदाता और उनके गुरू बुध्द के स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिध्दांतों की प्राप्ति के एक उपकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस अर्थ में हमें भारतीय संविधान की उद्देशिका समझकर लेनी होगी। इसीलिए अब भारत सरकार ने उद्देशिका का सार्वजनिक वाचन (पठन) सरकारी कार्यालयों, स्कूलों तथा महाविद्यालयों में 24 नवंबर को करने के लिए आदेश पारित किया है। इस बहाने लोग भारतीय संविधान को देख–पढ़ तो रहे हैं। उद्देशिका को समझकर लेना प्रत्येक

भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। उसमें ही उसके अधिकार और देश के प्रति कर्तव्य मौजूद है। **संविधान ने हमें क्या दिया ?**

समानता का अधिकार : सदियों से भारत देश में सभी क्षेत्र में असमानता ने अपनी जड़ें मजबूत की थी उसे उखाड़ फेंका और देश के सभी नागरिकों को मनुष्य की हैसियत से समानता प्रदान की। धारा 14 से 18 अधिकार प्रदान करते हुए स्पष्टतः कहा कि अब तक भारत में मनुष्य की समानता नकारी गई थी वह भी धर्म के नाम पर। उसे हम नकारते हैं। और समानता का मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं।

उद्योग, व्यवसाय, नौकरी, स्वतंत्रता : भारत में पुश्तानी व्यवसाय जन्म जाति पर आधारित थी उसे खत्म करके संविधन ने उद्योग धंदों के लिए सवतंत्रता प्रदान की।

स्वतंत्रता का अधिकार : यह व्यक्ति को आवश्यक स्वतंत्रता, सम्मान और अधिकार प्रदान करता है। विचार की अभिव्यक्ति, पेशा चुनने की स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं जो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास के लिए जरूरी हैं। भारतीय सभी नागरिकों को भाषण करने का, लेखन आदि कलाओं द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिला है।

शोषण विरोधी अधिकार : मूल भारतीयों को आर्यों ने छल से हराकर गुलाम बनाया। इसीलिए भारत में प्राचीन काल से गुलामगिरी की प्रथा का प्रचलन अस्तित्व में आया। शूद्रों को गुलाम बनाकर इस व्यवस्था ने शोषणमूलक समाज व्यवस्था बनायी । संविधान ने शोषण विरोधी अधिकार दिया । मजदूरी न देकर किसी भी व्यक्ति से मजदूरी का काम करके लेना अर्थत बेगार (बिना उजरत दिए कराया जानेवाला काम) जबर्दस्ती काम करवाना इस अन्याय और शोषणमूलक प्रथा को संविधान ने नकारा। बावजूद कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो कानूनन वह सजा का पात्र होगा।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार : धर्म समाज के लिए आवश्यक है। वह समाज की नींव है। यह मानव–जीवन और समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। धर्म वैयक्तिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुध्दी की कसौटी पर कसकर दुनिया का कोई भी धर्म अपना सकता है लेकिन धर्म को आधार बनाकर दुसरे व्यक्ति पर अन्याय, शोषण, अत्याचार एवं जबरदस्ती करने में संविधान ने रोक लगाया। अपने अपने दायरे में रहकर धर्म का पालन करने की मूभा संविधान ने दी। लेकिन देश धर्मनिरपेक्ष होगा। राज्य की व्यवस्था किसी भी धर्म पर आधारित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार पूजा–पाठ, विधि कर सकता है।

शैक्षिक अधिकार : सभी भारतीय नागरिकों को शिक्षा ग्रहन करने का अधिकार संविधान ने प्रदान किया है। सरकार की ओर से आर्थिक अनुदान मिलनेवाली सभी शैक्षिक संस्थाओं ने देश के समग्र नागरिकों को मुफ्त प्रवेश का अधिकार संविधान ने दिया। किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, भाषा तथा वंश अथवा इनमें से किसी भी कारणों से प्रवेश नकार नहीं सकते। संविधान में इस कानून का प्रावधान किया है।

डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर ने अपनी सामाजिक प्रजातंत्र की धारणा के तीन तत्वों स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा । इनमें भाईचारा को बाबासाहब ने सर्वाधिक महत्व दिया । उनका मानना था कि बिना भाईचारे के समाज में वास्तविक अर्थ में स्वतंत्रता और समानता की न तो प्राप्ति हो सकती है न ही उसे अक्षुण्ण रखा जा सकता है। डॉ. अम्बेडकर का दृढ़ विश्वास था कि समाज मे भाईचारे की सही माने में स्थापना धर्म वह भी बौध्द धर्म के माध्यम से ही हो सकती है। क्योंकि बौध्द धम्म अपने अनुयाइयों को सामाजिक नैतिकता, प्रेम और करूणा की शिक्षा देता है, जो भाईचारे के विकास के लिए आवश्यक है। अर्थात अम्बेडकर की दृष्टि में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि धर्म की स्थापना के द्वारा ही हम संविधान में वर्णित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकतें है।। बौध्द धम्म विश्व का एकमात्र ऐसा धम्म है जो भाईचारे के विकास तथा स्वतंत्रता और समानता की शिक्षा के द्वारा संविधान की रक्षा कर सकता है।

भारतीय संविधान का यह मसौदा बहुत व्यापक है। इस मसौदे में 315 अनुच्छेद और 8 परिशिष्ट हैं। यह मसौदा जितना बड़ा है उतना बड़ा संविधान दुनिया के किसी राष्ट्र का नहीं है। संविधान मसौदे में राज्य व्यवस्था होने के बावजूद भी देश के लिए एक ही नागरिकता है और वह है भारतीय नागरिकता।

कानून और न्यायव्यवस्था एक ही –

- 1. संपूर्ण देश में एक ही न्याय पध्दति है।
- 2. सिविल या क्रिमिनल कानून एक जैसा है।
- 3. राज्य प्रशासन के लिए सामान्य सिविल सर्विस है।

भारत के संविधान में दोहरी न्याय पध्दति है। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट इन दोनों की एक और अभिन्न न्याय पध्दति रखी गई है। ये कोर्ट संवैधानिक कानून, सिविल कानून या क्रिमिनल कानून के मुकदमें की ओर फरियादों की जाँच कर सकेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है।

अंतः भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य है, देशवासियों का हित। संविधान ने ''मानव'' को केंद्र में रखा है। देश के नागरिकों को सार्वभौमत्व प्रदान किया। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार प्रदान किये। भारत का संविधान अधिक सशक्त, प्रभावकारी और प्रौढ़ होता नजर आ रहा है। संविधानशिल्पी, क्रांतिसूर्य, भारतरत्न को शतदा नमन।

भवतु जयमंगलम्! नमो बुध्दाय

संदर्भ –

1. और बाबासाहब ने कहा – डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर के आलेख एवं अभिभाषण (1945–1950):– खण्ड–4. डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकरः अनुवादक/सम्पादक डॉ. एल. जी. मेश्राम 'विमलकीर्ति', राधकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली– पहला संस्करण : 2008, पृ. 167, 172, 177

2. डॉ. अंबेडकर सामाजिक न्याय एवं परिवर्तन –राम गोपाल सिंह, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस जयपुर एवं दिल्ली, प्रथम संस्करण : 2006, पृ. 16, 27, 28, 29

3. अपेक्षा हिन्दी त्रैमासिक पत्रिका, नई दिल्ली, वर्ष 12 अंक 46–47, जनवरी–जून 2014 संपादक– तेज सिंह, भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रीएम्बल) एवं देश के 66 वर्ष – राजा राम पृ. 122

4. दैनिक सम्राट (मराठी समाचारपत्र) मुंबई, भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती डॉ. बबन जोगदंड पृ. 4,5

डॉ. जयश्री शिंदे
एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, यु.ई.एस. महिला महाविद्यालय, सोलापुर।